

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी - अप्रैल, 1994 संत्र

विनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1994 (फाल्गुन 30, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रबन्धसंग्रह

(१) पथकस्त: वितरित सूची में सम्पादित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(१) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, धरमपुराय, डा. गौरीशंकर शेखावार, सदस्य, सागर जिले के बीना धानान्तर्गत ग्राम दरूआ में एक पूर्व मंत्री के निवास पर आग लगाये जाने की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) सर्वश्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, बुजमोहन अग्रवाल, सदस्य, दुर्ग जिले की आर.के. ट्रान्सपोर्ट कंपनी द्वारा रेत की बिक्री अनुबन्ध दर से अधिक दर पर किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(१) श्री लिखीराम कावरे, सदस्य -

(क) बालाघाट जिले के ग्राम गोदरी में विद्युत लाइन दिये जाने,
(ख) बालाघाट जिले के ग्राम कैश में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) बालाघाट जिले के ग्राम सालहे में विद्युत लाइन दिये जाने,

(२) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के ग्राम टीलाखेड़ी के रसूलिया घाट कोलास नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,

(३) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) भिण्ड जिले के ग्राम छकलेन में शासकीय कनिष्ठ शाला खोलने,
(ख) भिण्ड जिले के ग्राम पडवनपुरा में शासकीय कनिष्ठ शाला खोलने,
(ग) भिण्ड जिले के ग्राम सिजारीपुरा में स्कूल भवन का निर्माण, तथा
(घ) भिण्ड जिले के ग्राम खुर्द में शासकीय दयूबवेल की व्यवस्था किये जाने,

(४) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य -

(क) भोपाल शहर की रूप नगर बुगी बस्ती में सार्वजनिक नल कनेक्शन दिये जाने, तथा
(ख) भोपाल शहर के आचार्य नरेन्द्र देव नगर में सार्वजनिक नल कनेक्शन दिये जाने,

(५) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम विलायत कला में शासकीय कन्या उच्चतार माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रावास खोलने,

(६) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भोपाल शहर के घोड़ा नक्कास क्षेत्र से देशी शराब की दुकान हटाए जाने,

(७) श्री भगवान सिंह यादव, सदस्य -

(क) ग्वालियर जिले सिकंदरकंपु लश्कर में स्कूल भवन निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्वालियर जिले के ग्राम गुदा में सड़क निर्माण,

(8) श्री अल्लूलाल तेकाम, सदस्य -

- (क) मण्डला जिले के ग्राम देको में प्राथमिक शाला खुलवाने,
- (ख) मण्डला जिले के ग्राम छलोड़ी में प्राथमिक शाला का भवन निर्माण किये जाने,
- (ग) मण्डला जिले के ग्राम भीम डोगरी, मोहल्ला-सरई पड़ाव में कुआं खुदवाने, तथा
- (घ) मण्डला जिले के ग्राम कोलुम गढ़न के पहुंच मार्ग को मुख्य सड़क से जोड़ने,

(9) श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य -

- (क) होशंगाबाद जिले के ग्राम गाडामोड़ा एवं ग्राम नयागांव के मध्य पुलिया निर्माण किये जाने,
- (ख) होशंगाबाद जिले के ग्राम लहाडपुर की टिमरन नदी पर पुलिया निर्माण, तथा
- (ग) होशंगाबाद जिले के ग्राम पिपलिया में हाईस्कूल खोलने,

(10) श्री पर्वतलाल आहिरवार, सदस्य -

- (क) टीकमगढ़ जिले के ग्राम-पड़ाव से पहुंच मार्ग आलमपुरा ग्राम तक मुख्य सड़क से जोड़ने एवं पुलिया बनाने,
- (ख) टीकमगढ़ जिले के ग्राम-धरमपुर के नाले पर स्टापड़ेम बनाने,
- (ग) टीकमगढ़ जिले के ग्राम-गेती के नाला आमन-झोर पर स्टापड़ेम बनाने,
- (घ) टीकमगढ़ जिले की नगर पालिका पलेरा के महाविद्यालय हेतु शासकीय भवन उपलब्ध कराने, तथा
- (ङ) टीकमगढ़ जिले के नगर पलेरा की नल-जल योजना शुरू करने,

(11) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसीर जिले के ग्राम-पोड़ा में तीन हैण्डपंप लगाये जाने, जिनके द्वारा नानालाल नगर के लोकों को पानी की सुधार करने के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुप्रकरण अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुप्रकरण अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विवरण, कार्य

(1) श्री रामजी महाजन, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश स्लेट पेसिल कर्मकार करन्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 9 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिकारिकी - आयु) संशोधन विधेयक, 1994 (क्रमांक 10 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(3) श्री बी.आर. घावड़, वन मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 11 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

**निर्धारित
समय**

1 घन्टा

7. नियम 138 के अन्तीन अविलम्बनीय लोक महस्त के विवरण पर चर्चा

(1) प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से वायु एवं जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में सर्वश्री बाबूलाल गौर/बनवारीलाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राशन वितरण व्यवस्था के संचालन में सुधार करने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर

30 मि. चर्चा.

भोपाल :
विनांक : 20 मार्च, 1994

इन्द्रिया चतुर्चा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा